भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(अन्वेषण प्रभाग)

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001

संख्या ओ - 19025/ 10 / 2005-06 - ओएनजी - डीवी

दिनांक 1 फरवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अन्वेषण अवधि की समाप्ति के पश्चात खनन् पट्टा क्षेत्र में अन्वेषण ।

भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वाणिज्यिकता की स्थापना करते हुए लागत प्रतिपूर्ति से खनन् पट्टा क्षेत्र में अन्वेषण को अनुमत किया जाएगा । इस प्रकार की वाणिज्यिकता संबंधी घोषणा के साथ सभी प्रकार की अनुमोदित अन्वेषण लागतों को लागत प्रतिपूर्ति के लिए अनुमत किया जाएगा । खनन् पट्टा क्षेत्र में अन्वेषण के लिए अनुमति निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार प्रदान की जाएगी :

संविदाकार खनन् पट्टा क्षेत्र में अन्वेषण अवधि की समाप्ति के पश्चात अपने जोखिम पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर, और अधिक अन्वेषण संबंधी गतिविधियां कर सकता है :

1 इस प्रकार की अन्वेषण गतिविधियों की लागत, निम्नानुसार अनुबंधित पद्धति से एफ डी पी चरण में वाणिज्यिक तथा तकनीकी-आर्थिक रूप से अर्थक्षम प्रमाणित हुई अंतिम खोज के पश्चात प्राप्य होगी और इसकी विकास संबंधी योजना को पी एस सी के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है । इस प्रकार की तब तक व्यय की गई अन्वेषण लागतें पी एस सी में प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्त की जाएंगी । तदुपरांत किए गए किसी अन्य अन्वेषण की लागत को केवल प्रतिपूर्त किया जाएगा, जब उनके से कोई भी तदुपरांत अन्वेषण प्रयास के परिणाम उस खोज के लिए अनुमोदित एफ डी पी के अनुसार एक वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम खोज के रूप में होंगे ।

2

(i) संविदकार को डी ओ सी अवस्था तथा एफ डी पी अवस्था, दोनों प्रकार से उन अन्वेषणों के परिणामस्वरूप नकद प्रवाह की अपेक्षित गणना के साथ नई खोजों की वाणिज्यिक तथा तकनीकी-आर्थिक रूप से अर्थक्षमता सिद्ध करनी होगी, तथा डी जी एच द्वारा वैध अनुमानित उत्पादन प्रोफाइल की भांति उपयुक्त लाभ-पेट्रोलियम का वितरण करना, यह दर्शाते हुए कि मौजूदा खोजों से लाभ पेट्रोलियम का सरकार का संचयी अंश, इस एफ डी पी की अवधि अथवा पी एस सी के कार्यकाल में विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होगा ।

(ii) इस प्रकार की गणना की लागत को अन्वेषण अवधि के समाप्त होने के पश्चात खनन् पट्टा क्षेत्र में व्यय की गई अन्वेषण की पूर्व लागत में शामिल किया जाएगा ।

(iii) इस प्रकार की खपत के लिए उपयोग किए गए कच्चे तेल के मूल्य विगत वर्ष के 'ब्रेन्ट' मूल्य के औसत होंगे तथा गैस मूल्य उस ब्लॉक के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए फार्मूला, यदि कोई हो तो, से प्राप्त किए जाएंगे अथवा इसकी अनुपस्थिति में विभिन्न नेल्प ब्लॉकों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मूला से प्राप्त मौजूदा निम्नतम मूल्य से प्राप्त किए जाएंगे ।

(iv) एफ डी पी के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए विचारित विकास तथा उत्पादन लागतें, वास्तविक अनुमान होंगी । किसी भी मामले में, संविदाकार नई खोजों के मामले में विकास तथा उत्पादन लागतों को सीमित करने पर सहमत तथा प्रतिबद्ध होगा, जिसे विकास और उत्पादन के लिए एफ डी पी में उपयोग किए गए लागत अनुमानों के भीतर, लागत पेट्रोलियम और एकाधिक निवेश के लिए संविदा लागत के तौर पर लिया जाएगा ।

(v) यदि प्रचालनात्मक कारणों के लिए आवश्यकता है उस स्थिति में एफ डी पी में किसी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव करने का संविदाकारके पास विकल्प होगा । तथापि इस प्रकार के सभी संशोधित एफ डी पीज़ को संविदा लागत के लिए पात्र होने के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त वर्णित वाणिज्यिकता एवं तकनीकी आर्थिक अर्थक्षमता की उसी प्रकार की परीक्षा अवश्य ही गुज़रना होगा । यदि इस प्रकार के संशोधित एफ डी पीज़ को प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब लागत को संशोधित एफ डी पी के तहत संविदा लागत मान लिया जाएगा, जो पूर्व-अनुमोदित एफ डी पी तक सीमित रहेगी ।

3 मौजूदा पी एस सी के प्रावधान, पी एस सी के प्रासंगिक अनुच्छेद में प्रावधानों के अनुसार खोज और विकास से संबंधित टाइमलाइन के अतिरिक्त, इस प्रकार की खोजों से संबंधित विकास व उत्पादन पर लागू किए जाने जारी रहेंगे ।

4 आगामी अन्वेषण, विकास तथा उत्पादन के लिए अनुमोदन पी एस सी के किसी भी कार्यकाल में किसी प्रकार के भावी विस्तार के लिए संविदाकार को पी एस सी में प्रावधानों के अनुसार दिए गए के अतिरिक्त, किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करते ।

5 संविदाकार को उन खनन् पट्टा क्षेत्रों में मौजूदा खोजों, यदि हो तो, को विकसित करने तथा उसका मौद्रिकरण करने के लिए भी अनुमति प्रदान की जाएगी, जिनमें कुछ गतिविधियों का पी एस सी से भेद हो सकने के कारण पहले विकास तथा मौद्रिकीकरण नहीं हो सका हो, बशर्ते कि इस प्रकार की खोजों की वाणिज्यिकता तथा तकनीकी-आर्थिक अर्थक्षमता को एफ डी पी चरण में उसी प्रकार से सुनिश्चित कर लिया गया हो जैसे कि उपर्युक्त प्रावधान किए गए हों । तथापि, यह निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जाएगा :

(i) लागत जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है :

- गतिविधियों पर इस नीति की तिथि तक पूर्व में व्यय की गई लागत जिसमें पी एस सी प्रावधानों से भिन्नता थी ।

(ii) लागत जिसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है :

- गतिविधियों पर इस नीति की तिथि तक पूर्व में व्यय की गई लागत जो पी एस सी प्रावधानों के अनुरूप थीं और इसलिए जो पहले से ही प्रतिपूर्ति के लिए पात्र थीं ।

- इस प्रकार की सभी मौजूदा खोजों के मूल्यांकन, विकास और उत्पादन के लिए किसी प्रकार की भावी लागतें ।

6 संविदाकार द्वारा पी एस सी के विशिष्ट अनुच्छेद में किए गए प्रावधानों के अनुसार लागत पेट्रोलियम और लाभ पेट्रोलियम के त्रैमासिक आवंटन के लिए प्रबंध समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

II प्रचालक डी जी एच से इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव के लिए संपर्क कर सकता है ।

(**नलिन कुमार श्रीवास्तव**)

उप सचिव, भारत सरकार

अन्वेषण एवं उत्पादन (ई एंड पी) के सभी प्रचालक

प्रति प्रेषित : महानिदेशक, हाइड्रोकॉर्बन महानिदेशालय, नोएडा